

अपील सं. - 111/11

इमानाराम बनाम विजयप्रकाश

आज्ञा का दिनांक

06/08/24

आज्ञा या कार्यवाही द्वारा धर महिल

क्रमांक व दिनांक
के पालनाथ

पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्त
अनुपस्थित। वकील अपीलान्त एवं प्रार्थी
को बार-बार आवाज दिलाई गई। इसके
बावजूद उपस्थित नहीं। पत्रावली अदम
पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज की
जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।